GCMS = 2025/144

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– केसर देवी पत्नी लादुराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील मौलासर जिला–डीडवाना– कुचामन, राजस्थान ।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– नेमाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...51/2025 सन्–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
06.03.2025	प्रार्थी केसर देवी पत्नी लादुराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील मौलासर जिला–डीडवाना– कुचामन, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण नेमाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री शक्ति सिंह को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षिय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे जवाब पेश होने तक सरहद बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा के खसरा नम्बर 529, 524, 527, 528/901, 525, 528/913, 530/914, 531/915, 532/916 की भूमि पर विक्रय/ हस्तानान्तरण नहीं करेंगे एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनॉंक 08.04.2025 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
8/4/25	[illegible] 39-1 अप्रार्थी नं. 1 ता 5, 13 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी ने वकालतनामा [illegible] पत्रावली शामिल हो। अप्रार्थी नं. [illegible] 39-1 [illegible] समन तामील हेतु [illegible] जवाब दावा पेश हो चुके हैं। पत्रावली दिनांक 21/4/25 को पेश हो। Vikas	Rmyb Dhankoli [illegible] 8/4/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:52:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

16/4/2025

पत्रावली वकील वादी के आवेदन पर आज पेश हुई। वकील वादी द्वारा मूल पत्रावली में दावा विड्रा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः दावा विड्रा होने पर प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली दावा विड्रा होने पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:52:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner